उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग)

क्रमांक 1/स्वरोयो/5/(3-ब)/2020/ 2098 भोपाल दिनांक 15.07.2020

प्रति,

संयोजक एवं फील्ड महाप्रबंधक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया,
ऑचलिक कार्यालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल ।

विषयः-राज्य शासन की स्वरोजगार योजनाओं के पुराने ऑफलाइन स्वीकृत/वितरित प्रकरणों के अनुदान क्लेम ऑनलाइन किये जाने के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा विकसित Backlog Entry Module प्रारंभ किये जाने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाएं एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें वर्ष 2018-19 से समस्त बैंक शाखाओं को ऑनबोर्ड कर दिया गया है तथा बैंकों द्वारा उक्त पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति, वितरण एवं हितग्राही के अनुदान नोडल बैंकों से क्लेम किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। इन स्वरोजगार योजनाओं के वर्ष 2018-19 के पूर्व के प्रकरणों में बैंक शाखाओं द्वारा हितग्राहियों के ब्याज/CGTMSE अनुदान राशि ऑफलाइन/हार्डकापी नोडल बैंक भेजकर क्लेम की जा रही है, जिसके कारण ऑनलाइन रिकन्सीलियेशन नहीं हो पा रहा है। अतः विभाग के निर्देश पर एमपी ऑनलाइन द्वारा इस प्रकार के पुराने क्लेम के लिए मॉड्यूल विकसित कर लिया गया है, जो कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल में बैंक शाखाओं के लॉगिन पर बैकलॉग एन्ट्री के नाम से उपलब्ध है, इस मॉड्यूल के माध्यम से अब बैंक शाखाएं पुराने प्रकरणों के क्लेम नोडल बैंकों से ऑनलाइन कर सकते हैं।

कृपया समस्त बैंकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपनी शाखाओं के पुराने क्लेम अनिवार्य रूप से पोर्टल में माध्यम से नोडल बैंकों को ऑनलाइन प्रेषित करें। कोई भी क्लेम नोडल बैंक द्वारा ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जायें।

संचालक,
उद्योग संचालनालय,म.प्र.

क्रमांक 1/स्वरोयो/5/(3-ब)/2020/ 2099-2219 भोपाल दिनांक 15.07.2020

प्रतिलिपिः-

1. स्टेट हेड, समस्त बैंक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाइन, डीबी मॉल, भोपाल की ओर कृपया बैकलॉग मॉड्यूल तत्काल लाइव करें एवं फण्ड रिकन्सीलियेशन के लिए एमआईएस विकसित करने का कष्ट करें।
3. संयुक्त संचालक उद्योग (समस्त) परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. महाप्रबधक (समस्त), जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र. की ओर कृपया अपने जिले की समस्त शाखाओं को इससे अवगत करायें।
5. नोडल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भोपाल की ओर कृपया आपके बैंक में विभिन्न शाखाओं से पुराने प्रकरणों में हार्डकॉपी में प्राप्त हुए अनुदान क्लेम संबंधित शाखाओं को तत्काल वापस करें, ताकि वे एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुदान ऑनलाइन क्लेम कर सकें।
6. सहायक संचालक, आईटी कक्ष, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप संचालक,
उद्योग संचालनालय,म.प्र.